# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

**पीठासीन अधिकारी :— हंसमुख कुमार** आर.ए.एस.

विविध प्रार्थना पत्र संख्या :— 49 / 2025

| **प्रार्थीगण** | बनाम् | **अप्रार्थीगण** |
|---|---|---|
| केसाराम वगैरा | | गिरधारीराम वगैरह |

—————

**अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956**

**उपस्थिति : —**

1. श्री एम के राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री सचिन दवे, श्री दौलतराम प्रजापत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या—1 व 2 एंव 4 से 7

दिनांक : —07-10-25

**— : आदेश : —**

1. प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 बाबत भूमि खसरा नंबर 109 / 1, 109 / 2 ग्राम कृष्णा नगर पटवार हल्का रोहिचां कल्लां तहसील लूणी जिला जोधपुर स्थित अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने बाबत पेश किया।
2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर कार्यालय समय में दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, जिनके नोटिस तामिल होने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1, 2 एंव 4 से 7 की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया और एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 सी पी सी का प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी संख्या—3 भानाराम पुत्र श्री डायाराम की मृत्यु दिनांक 15 / 04 / 2025 को हो चुकी हैं जिसका उल्लेख न्यायालय द्वारा भिजवाये गये नोटिस की रिपोर्ट में भी अंकित हैं और इसका उल्लेख न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में हैं।
3. अप्रार्थी संख्या—1, 2 एंव 4 से 7 की ओर से प्रार्थनापत्र में यह भी तथ्य उल्लेखित किया गया कि विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार मृत व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही चालू नहीं की जा सकती की हैं और दौराने कार्यवाही भी यदि किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती हैं तो उसके कायम मुकामान् को पक्षकार बनाने का आवेदन नहीं किये जाने पर कार्यवाही अबेट हो जायेगी। प्रार्थनापत्र में यह भी उल्लेख किया गया हैं कि प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी संख्या—3 के कायम मुकामान् को पक्षकार बनाने हेतु आवेदन नहीं किया गया हैं। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अबेट हो जाने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

4. अप्रार्थी संख्या–1, 2 एंव 4 से 7 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का जवाब एंव प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 सी पी सी एंव प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर भानाराम के वारिसान् को रिकार्ड पर लेने व अबेटमेन्ट सेट–ए–साईड करने का निवेदन करते हुए कथन किया कि उसे भानाराम का देहान्त हो जाने की सर्वप्रथम जानकारी अप्रार्थी के द्वारा दिनांक 27/08/2025 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र जिसकी प्रति उसे दिनांक 24/09/2025 को प्राप्त हुई हैं, से हुई हैं। इससे पूर्व उसे भानाराम की मृत्यु की उसे जानकारी नहीं थी। साथ ही यह भी कथन किया कि भानाराम के दो पुत्रों छोगाराम एंव नारायणराम का देहान्त हो गया हैं, जिनके वारिसान् को भी भानाराम के स्वर्गवास के पूर्व रेकर्ड पर नहीं लिया जा सकता था, इस कारण भानाराम एंव उनके पुत्रगण छोगाराम एंव नारायणराम के वारिसान् की सूची पेश कर उन्हे रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।
5. इस प्रकरण में प्रार्थना पत्र के नोटिस भानाराम के विरूद्ध अदालत द्वारा जारी किये गये थे, जिन पर दिनांक 24.04.2025 को यह रिपोर्ट आई हैं कि भानाराम का स्वर्गवास हो गया हैं। इसके साथ ही भानाराम के स्वर्गवास की सूचना भी अप्रार्थी संख्या–1, 2 एंव 4 से 7 के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28/05/2025 में दी गयी हैं। इसके बावजूद भी प्रार्थीगण के अधिवक्ता का यह कथन कि उसे इस तथ्य की जानकारी नहीं थी, जो उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि न्यायालय की कार्यवाही में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता नियमित रूप से भाग ले रहे हैं और न्यायालय की हर कार्यवाही की पक्षकारान् को जानकारी हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का यह कथन कि उसे भानाराम की मृत्यु की अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र जो कि उसे दिनांक 24/09/2025 को प्राप्त हुआ हैं, से हुई हैं, माने जाने योग्य नहीं हैं।
6. इसके अलावा आदेश 22 नियम 4 सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने की तारीख से उसके वारिसान् को 90 दिन के भीतर पक्षकार बनाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता हैं जबकि इस प्रकरण में भानाराम की मृत्यु दिनांक 15/04/2025 को होने की जानकारी प्रारम्भ से ही प्रार्थीगण को थी, क्योंकि अप्रार्थी संख्या–3 प्रार्थीगण के बड़े पिताजी हैं, और इतने नजदीकी रिश्तेदार का देहान्त हो जाने की प्रार्थीगण को जानकारी नहीं होना अपने आप प्रार्थीगण के कथनों पर प्रश्नचिन्ह लगाता हैं। इतना ही नहीं उनके स्वंय के द्वारा भानाराम के पुत्रों छोगाराम व नारायणराम की मृत्यु हो जाने की उन्हे जानकारी होने का तथ्य प्रार्थनापत्र में उल्लेखित किया हैं, इससे यह प्रकट होता हैं कि उनके द्वारा जानकारी होने के बावजूद भी जान–बूझकर प्रार्थना पत्र समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया हैं।
7. आदेश 22 नियम 09 सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी पक्षकार की मृत्यु के पश्चात् निर्धारित समयावधि में उसके वारिसान् को पक्षकार मुकदमा बनाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता हैं तो समयावधि के 60 दिन बाद कार्यवाही स्वतः अबेट हो जाती हैं। इस प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 09 सी पी सी एंव धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में देरी को क्षमा करने के सम्बन्ध में उल्लेखित किये गये कथन झूठे प्रतीत होते हैं। इस कारण देरी क्षमा

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

किये जाने योग्य नहीं हैं। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक हैं कि आदेश 22 नियम 9 सी पी सी एंव धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जहां किसी पक्षकार के द्वारा देरी का समुचित व युक्तियुक्त कारण बताया जाता हैं, तो ऐसी मामलों में विलम्ब को क्षमा किया जा सकता हैं, लेकिन इस प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में उल्लेखित किया गया देरी का कारण किसी भी अवस्था में युक्तियुक्त व सद्भाविक नहीं माना जा सकता हैं।

8. पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारान् की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 एंव 9 सपठित धारा 151 सी पी सी एंव धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किये जाने योग्य हैं एंव अप्रार्थी संख्या–1, 2 एंव 4 से 8 की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 सी पी सी स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

9. अतः उपरोक्त निष्कर्ष के अनुसार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत भूमि खसरा नंबर 263/1, 263/2, 264/1 व 264/2 ग्राम रोहिचां कल्लां तहसील लूणी जिला जोधपुर की पत्थरगढी अबेट होने से खारिज किया जाता हैं।

आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 07-10-25 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हंसमुख कुमार RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी